कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)

भुसावर : भरतपुर (राज.) पिन 321406

Azadi Ka Amrit Mahotsav

डॉ. उदय भान सिंह
डीन

मों: 9414714234
Email.:- dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांक:प. ( ) स्टोर / कृमविभु / 2024 / 651 दिनांक: 12/11/2024

सीमित नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर में वर्ष 2024–25 के लिए महाविद्यालय में बेर के 90, आवंला के 250 एवं अमरूद 304 फलदार पौधों के फलों की खुली बोली द्वारा नीलामी की जायेगी। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 18.11.2024 को दोपहर 02:00 बजे कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर पर मौके पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अधिष्ठाता
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. कमेटी कन्वीनर / सदस्य / लेखाशाखा / .... ।
3. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. मैसर्स..
5. मैसर्स..
6. मैसर्स..
7. कृषि महाविद्यालय, भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. तहसील कार्यालय व पंचायत समिति भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)
भुसावर : भरतपुर (राज.) पिन 321406

क्रमांकःप. ( ) स्टोर / कृमविभु / 2024 / 651 दिनांकः 12/11/2024

नीलामी सम्बन्धी शर्तों का विवरणः–

1. प्रत्येक बोलीदाता बोली लगाने से पुर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. बोलीदाता अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
3. बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रूपये 5000 / –(अक्षरें रूपये पॉच हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी जिसका 50 प्रतिशत मौके पर जमा करवानी होगी जिसमें धरोहर राशि नीलामी राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 10 दिन मे महाविद्यालय मे जमा करानी होगी। अन्य बोलीदाताओ की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
4. बोली छूटने के बाद 15.03.2025 तक उपरोक्त उत्पादो पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
5. नीलामी मे भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों का ही होगा। अतिंम बोली को छोडने या नही छोडने की अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
6. बोली छूटने के बाद बोलीदाता को नीलामी की आधी राशि उसी दिन साय 04.00 बजे कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा शेष आधी राशि बोली छूटने के एक माह में अन्दर जमा करानी होगी।
7. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका नही दे सकेगा।
8. फलों का निरीक्षण बोलीदाता स्वयं फिल्ड में जाकर अवश्य कर लें।
9. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
10. प्राकृतिक आपदा (ऑधी, तूफान, बारिश, ओले आदि) की स्थिति होने पर फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी की कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. फलों की तुडाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
12. सफल निविदादाताओ को पौधों के थाले बनाना व सिंचाई का कार्य स्वयं के स्तर पर करना होगा तथा इस हेतु महाविद्यालय द्वारा मजदूरी नही दी जायेगी।
13. सफल निविदादाता को बगीचे मे लगने वाले खाद, उर्वरक व पेस्टीसाइड आदि महाविद्यालय द्वारा दिये जायेगें तथा इनको पौधो में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
14. सफल निविदादाता अमरूद, बेर एवं आंवला के बगीचो की चौकीदारी स्वयं करेगा तथा बगीचे में की जाने वाली फसलों की चौकीदारी भी निविदादाता की होगी।
15. निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिको की किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
16. सफल निविदादाता को 100 / – रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
17. बगीचों में लगे पौधों मे किसी भी प्रकार की क्षति नही होनी चाहिए, यदि क्षति होगी तो निविदादाता को कमेटी द्वारा तय जुर्माना देना पडेगा।
18. महाविद्यालय फार्म पर कॉलेज भवन, हॉस्टल सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण तथा अन्य कीमती सामान है, उनकी क्षति व चोरी आदि नुकसान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी नुकसान या क्षति का कमेटी द्वारा तय जुर्माना निविदादाता को देना होगा।
19. यदि निविदादाता महाविद्यालय के संसाधन जैसे बिजली मोटर, फार्म उपकरण, पाइप, स्प्रेयर आदि का उपयोग करता है तो उन सभी के रखरखाव व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
20. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर नीलामी निरस्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
21. फलो की तुडाई /बेचान कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की देखरेख में करनी होगी।
22. निविदादाता के मजदूर व स्वंय फार्म पर मंदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगे और न ही किसी अन्य को करने देंगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

DEAN
अधिष्ठाता
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)